राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–पं0नि0 30–23/2015 1547

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषयः– ग्राम पंचायत उप मुखिया एवं उप सरपंच के रिक्त पद पर निर्वाचन के संबंध में।
प्रसंगः– आपका पत्रांक 480 दिनांक 10.02.2024, पत्रांक 499 दिनांक 16.02.2024

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से आयोग को प्रखंड जलालपुर ग्राम पंचायत भटकेशरी के उप मुखिया, प्रखंड सोनपुर परमानन्दपुर एवं नजरमीरा के उप मुखिया, प्रखंड अमनौर ग्राम पंचायत धर्मपुर जाफर एवं ढ़ोलाही कैथल के उप मुखिया, प्रखंड रिविलगंज ग्राम पंचायत दक्षिणवारी चक्की के उप मुखिया तथा उप सरपंच, प्रखंड सदर ग्राम पंचायत साढ़ा के उप मुखिया, विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने एवं त्याग पत्र देने के फलस्वरूप पद रिक्त होने एवं तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया गया है।

2. आयोग द्वारा बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के संगत प्रावधानों तथा आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 द्वारा निर्गत सामान्य दिशा–निर्देशों के अधीन **निम्न कार्यक्रम के अनुसार उप मुखिया एवं उप सरपंच का निर्वाचन संपन्न कराने का निदेश दिया गया है :–**

प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत/ग्राम कचहरी	रिक्त पद का नाम	निर्वाचन हेतु निर्धारित तिथि
सोनपुर	नजरमीरा	उप मुखिया	13.04.2024
अमनौर	धर्मपुर जाफर	उप मुखिया	13.04.2024
	ढ़ोलाही कैथल	उप मुखिया	15.04.2024
रिविलगंज	दक्षिणवारी चक्की	उप मुखिया	13.04.2024
		उप सरपंच	15.04.2024
सदर छपरा	साढ़ा	उप मुखिया	13.04.2024

3. कृपया उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु विशेष बैठक की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना विहित प्राधिकारी द्वारा प्रपत्र 24 में ससमय निर्गत करा दी जाए तथा यह सुनिश्चित कराया जाए कि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन हेतु दिनांक **05.04.2024** तक सूचना सभी संबंधित प्रखंड के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सभी सदस्यों को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाए। **निर्वाचन संपन्न हो जाने के तुरंत बाद उसी दिन निर्वाचित उप मुखिया को सक्षम प्राधिकारी द्वारा शपथ ग्रहण भी करा दी जाएगी।**

4. निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया संचालित करने हेतु **आयोग का निदेश है कि अपने जिला के अपर समाहर्त्ता स्तर/उप सचिव स्तर एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी को चुनाव हेतु प्रेक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए।** प्रतिनियुक्त पदाधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल संख्या एवं अन्य सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में आयोग को दिनांक **03.04.2024** के पूर्व उपलब्ध करा दिया जाए। **प्रतिनियुक्त पदाधिकारी पूरी निर्वाचन प्रक्रिया पर संबंधित अधिकारियों की भूमिका सहित एक आत्मभारित प्रतिवेदन आयोग को निर्वाचन समाप्त होने के बाद उसी दिन संध्या तक संलग्न विहित प्रपत्र (प्रेक्षक का प्रतिवेदन) में निश्चित रूप से समर्पित करेंगे।** विधि व्यवस्था संधारण हेतु इस पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक, सारण को भी दी जा रही है।

5. उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन की **सम्पूर्ण कार्यवाही की विडियोग्राफी** सही समय एवं तिथि अंकित करते हुए की जाएगी। विडीयोग्राफी की एक प्रति आयोग को निर्वाचन के पश्चात दो दिनों के अन्दर उपलब्ध करा दी जायगी।

6. **कृपया निर्वाची पदाधिकारी एवं प्रेक्षक को निदेश दिया जाय कि वे आयोग के पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021 का अध्ययन अवश्य कर लें ताकि उप मुखिया एवं उप सरपंच के निर्वाचन में किसी तरह की भूल या अनियमितता नहीं हो सके।**

7. अनुरोध है कि तद्नुसार कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए आयोग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक पं0नि0 30–23/2015– 1547 पटना, दिनांक – 23.3.24

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक (चुनाव प्रशाखा) पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार/अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना/आयुक्त, सारण प्रमंडल, सारण एवं पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

23.3.24

I

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–23/2015 1546

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
सारण (छपरा)।

पटना, दिनांक– 23.3.24

विषय :– अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव में वांछित कागजात उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 480 दिनांक 10.02.2024, पत्रांक 499 दिनांक 16.02.2024, पत्रांक 586 दिनांक 28.02.2024 एवं पत्रांक 542 दिनांक 22.02.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जिनके समीक्षोपरान्त प्रतिवेदन में निम्न कागजात उपलब्ध नहीं है, जिनके आभाव में रिक्त पद पर निर्वाचन की तिथि निर्धारित करने में कठिनाई हो रही है :–

1. **प्रखंड जलालपुर ग्राम पंचायत भटकेशरी के उप मुखिया** एवं **प्रखंड सोनपुर ग्राम पंचायत परमानन्दपुर के उप मुखिया** से संबंधित संलग्न कागजात अपठनीय हैं।
2. **प्रखंड परसा ग्राम पंचायत अन्याय के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी पत्र के साथ कारण/आरोप संलग्न नहीं है।
3. **प्रखंड जलालपुर ग्राम पंचायत नवादा के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी पत्र के साथ प्रतिवेदन में तामिला संलगन नहीं है।
4. **प्रखंड पानापुर ग्राम पंचायत महम्मदपुर के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में तामिला की प्रति संलग्न नहीं है।
5. **प्रखंड पानापुर ग्राम पंचायत बकवाँ के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में अध्यपेक्षा संलग्न नहीं , अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक की तिथि की कागजात संलग्न नहीं, अविश्वास प्रस्ताव में सूचना निर्गत की तिथि के कागजात संलग्न नहीं, तामिला संलग्न नहीं एवं कारण/आरोप के कागजात संलगन नहीं है।
6. **प्रखंड गड़खा ग्राम पंचायत सरगट्ठी के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में तामिला की प्रति संलग्न नहीं है।
7. **प्रखंड मकेर ग्राम पंचायत फुलवरिया के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में अध्यपेक्षा एवं तामिला संलग्न नहीं है।
8. **प्रखंड मढ़ौरा ग्राम पंचायत शिल्हौरी के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में अविश्वास प्रस्ताव हेतु बैठक की तिथि, सूचना निर्गत की तिथि के कागजात संलग्न नहीं तामिला की प्रति संलग्न नहीं एंव कारण/आरोप अंकित नहीं है।
9. **प्रखंड दरियापुर ग्राम पंचायत खानपुर के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने संबंधी प्रतिवेदन में प्रपत्र 3 संलग्न नहीं एवं अध्यपेक्षा संलग्न नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि उक्त वांछित कागजात पत्र प्राप्ति से दो दिनों के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित की जाय। ताकि संदर्भित रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु तिथि निर्धारित की जा सके।

विश्वासभाजन,
23/3/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

23.3.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com